UPJB010033352026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी/एस.टी) एक्ट, अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती शैलजा राठी(उच्चतर न्यायिक सेवा)

अशोक कुमार बनाम विपिन शर्मा आदि।

विविध वाद सं०– 145/2026

धारा–173(4) बी.एन.एस.एस.

थाना–गजरौला, जिला अमरोहा।

आदेश

दिनांकः-09.06.2026

1. पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 173(4) बी.एन.एस.एस. पर विगत तिथि पर सुना जा चुका है।

2. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण विपिन शर्मा, देवेन्द्र शर्मा एवं दो अन्य व्यक्ति अज्ञात के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं विवेचना कराये जाने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर घटना यह प्रकट की गई है कि आवेदक अशोक कुमार को नई ट्रैक्टर की ट्राली की आवश्यकता थी। हापुड़ में ट्राली अच्छी बनती है। इसलिये आवेदक हापुड़ में ट्राली बनवाने के लिये गया था तथा दिनांक 05/01/2026 को आवेदक सुनील कुमार व जसवन्त के साथ मैसर्स भगवती कृषि उद्योग धन्श्यामपुर गढ़ रोड़ हापुड़ जिला हापुड़ के स्वामी देवेन्द्र शर्मा (ठेकेदार) व विपिन शर्मा पुत्र देवेन्द्र शर्मा निवासी मौह० शिवपुरी आर्य कन्या पाठशाला के पीछे पीर के पास हापुड़ से मिला तो विपिन शर्मा व देवेन्द्र शर्मा से आवेदक की ट्राली 14 कुन्तल की 71 रुपये प्रति किलों के हिसाब से तय हो गयी। जो लगभग एक लाख रूपये के करीब थी। देवेन्द्र शर्मा और विपिन शर्मा ने आवेदक से 60 हजार रूपये जमा करने व बाकी के 40 हजार रूपये ट्राली लेते समय देने को कहा। आवेदक ने देवेन्द्र शर्मा व विपिन शर्मा के कहने पर उसी दिन दिनांक 05/01/2026 को ही 20 हजार रूपये नगद विपिन शर्मा व देवेन्द्र शर्मा को दे दिये। तथा विपिन शर्मा ने 20 हजार रूपये की रशीद सादे पेपर पर बना ली। आवेदक ने 20 हजार रुपये दिनांक 05/01/2026 को ही अपने पुत्र फूल कुमार के मौ० नं0 9756779278 से विपिन शर्मा के नं0 9897614596 पर ट्रांसफर करा दिये। 40 हजार रुपये प्राप्त होने के बाद देवेन्द्र शर्मा व विपिन शर्मा ने आवेदक से कहा की मार्च के अन्त तक आपको हम ट्राली दे देंगे। आप बाकी के रूपये शीघ्र दे देना उसके बाद आवेदक ने अपने पुत्र फूल कुमार के मो0 नं0 9756779278 से विपिन शर्मा के मो0 नं0 9897614596 पर 11 हजार रूपये व 4 हजार रुपये दिनांक 19/03/2026 को ट्रांसफर करा दिये तथा दिनांक 22/03/2026 को 5 हजार रूपये अपने पुत्र फूल कुमार से विपिन शर्मा के नं० पर ट्रांसफर करा दिये। इस प्रकार आवेदक ने 60 हजार रूपये ट्राली के विपिन शर्मा व देवेन्द्र शर्मा को दे दिये। 60 हजार रूपये देने के बाद जब आवेदक ने देवेन्द्र शर्मा व विपिन शर्मा से अपनी ट्राली के बारे में

Digitally signed by SHAILJA RATHI
Date: 2026.06.09 16:51:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पूछा तो देवेन्द्र शर्मा व विपिन शर्मा टालते रहे तथा कोई सन्तोष जनक जबाब नहीं दिया। आवेदक ने दिनांक 22/03/2026 को समय करीब 9-42 बजे सुबह अपने मो0 नं0 9720732841 से विपिन शर्मा के मो0 नं0 9897614596 पर बात की परन्तु विपिन शर्मा व देवेन्द्र शर्मा आज कल कहकर टालते रहे। उसके बाद आवेदक ने कई बार विपिन शर्मा व देवेन्द्र शर्मा से बात करने की कोशिश की परन्तु विपिन शर्मा व देवेन्द्र शर्मा ने आवेदक की कॉल रिसिव नहीं की। दिनांक 25/04/2026 को जब आवेदक ने अपने मो0 नं0 9720732841 से देवेन्द्र शर्मा के मो0 नं0 9897614597 पर बात की तो देवेन्द्र शर्मा व विपिन शर्मा ने आवेदक से कहा कि दिनांक 26/04/2026 को सुबह 10-00 बजे तुम हमें गजरौला में पक्के पुल के पास शहबाजपुर वाले रास्ते पर मिलना हम तुम्हारे रूपये वापस दे देगें। दिनांक 26/04/2026 को सुबह 10-00 देवेन्द्र शर्मा व विपिन शर्मा व दो अन्य व्यक्ति कार से आये और आवेदक को पक्के पुल के पास शहबाजपुर वाले रास्ते पर मिले और आवेदक को पकड़कर लात घसों से बुरी तरह मारा पीटा तथा गंदी गंदी गालिया दी। देवेन्द्र शर्मा व विपिन शर्मा ने कहा की अगर चमट्टे तूने अपने रूपये वापस मांगे तो हम तूझे जान से मार देगें। आवेदक के साथ आये सुनील व जसवन्त मौके पर आये लोगों ने आवेदक को बचाया जाते वक्त सभी कहकर गये की अगर चमट्टे तूने हमे अपने रूपयों के लिये फोन किया या कहीं हमारी शिकायत की तो तूझे जान से मार देगे। उपरोक्त देवेन्द्र शर्मा व विपिन शर्मा ने आवेदक के 60 हजार रूपये भी धोखा देकर जाल साजी से हड़प लिये हैं। आवेदक घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना गजरौला गया परन्तु आवेदक की रिपोर्ट नहीं लिखी। आवेदक ने एक प्रार्थना पत्र रजि डाक के द्वारा दिनांक 02/05/2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया परन्तु कोई कार्यवाही ना होने पर उक्त विविध वाद योजित किया गया।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में पुलिस अधीक्षक अमरोहा को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति एवं पंजीकृत डाक रसीद, आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं दिये गये रूपये से संबंधित ट्रांजेक्शन की छायाप्रतियां आदि प्रपत्र दाखिल गये हैं।

5. संबंधित थाने की आख्यानुसार संबंधित थाना हाजा पर प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

6. प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/आवेदक के पास परिवाद के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के तहत जांच भी करा सकती है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी, अन्तर्गत धारा 223 BNSS, दिनांक 27.07.2026 को पेश हो।

शैलजा राठी
Id. No:–UP2643
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी. एक्ट), अमरोहा।